न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 167/2019 दायर दिनाँक 17.07.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बिंचावा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी

दिनाँक 05.12.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा बिंचावा की सरहद में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा सं0 26 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा पीढियों से स्थित है। प्रतिवादी तहसीलदार, डीडवाना के द्वारा श्रीमान सहायक कलक्टर डीडवाना की अदालत में राज0 भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 व अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट के चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अलग करने बाबत दरख्वास्त देने पर वादी की खातेदारी के खसरा सं0 26 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद बिंचावा में सार्वजनिक रास्ता का अंकन बिना वादी को सूचना दिये व बिना सुनवाई का मौका दिये उक्त खसरा नम्बर 26 रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद बिंचावा की अंगुणी व दिखणादी कुंट पर 19 बिस्वा चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता अंकन राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया। नकल सहायक कलक्टर डीडवाना दिनांक 10.10.2017 की पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 167 / 2019
दायर दिनाँक 17.07.219, निर्णय दिनाँक 05.12.2019
देवीसिंह बनाम तहसीलदार, डीडवाना।

वास्तव में खेत खसरा सं0 26 की पूर्वी व दक्षिणी कुंट में एक खेतों में आने–जाने वाला रास्ता ग्राम बिंचावा से चलता है। इस वादी के खेत की दक्षिणी–पूर्वी कुंट में घुसता है। इससे आगे यह रास्ता नहीं चलता है। केवल मात्र उक्त खसरा नम्बर में यह रास्ता घुसता है तो 03 बिस्वा अधिक जमीन रास्ते की नहीं बनती परन्तु उक्त निर्णय के अनुसार 19 बिस्वा भूमि खसरा सं0 26 के रकबे में से रास्ते के उपयोग के लिए काट दी गई है। जो सही नहीं है।

खसरा सं0 26 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से रास्ता केवल 03 बिस्वा ही काटना चाहिये था, लेकिन गलती से 19 बिस्वा जमीन रास्ते में खसरा सं0 26 में से ले ली गई है। जिसके खसरा सं0 832/26 रकबा 19 बिस्वा बने है। और खसरा सं0 26 का रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से 19 बिस्वा काट कर शेष रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा कर दिया गया है। इस प्रकार गलत तरीके से व गलत आदेश से बिना वादी के सुनवाई मौका दिये वादी की खातेदारी की जमीन से 16 बिस्वा जमीन रास्ते की दर्ज कर दी गई है। जिससे वादी के जायज अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। वादी अपने अधिकारों के लिये घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा कर रहा है।

प्रार्थना वादी है कि खेत खसरा सं0 26 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो रास्ते में काटने से नया खसरा नम्बर 832/26 बना है को पुनः वादी के खेत खसरा सं0 26 में सम्मिलित किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार, डीडवाना की मौका रिपोर्ट प्राप्त। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 26 रकबा 31.11 बीघा किस्म बारानी प्रथम खातेदार देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार हिस्सा 30.18 बीघा एवं शिवराम सांगवा पुत्र रामचन्द्र कौम जाट निवासी तरनाऊ तहसील जायल हिस्सा 0.13 बीघा दर्ज है। खसरा सं0 832/26 रकबा 0.19 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 167/2019
दायर दिनाँक 17.07.219, निर्णय दिनाँक 05.12.2019
देवीसिंह बनाम तहसीलदार, डीडवाना।

खातेदार देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है। उक्त खसरा सं0 832/26 रकबा 19 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता की नक्शा लट्ठा में मूल खसरा सं0 26 की पूर्वी सीमा पर पेंशिली (कच्ची) तरमीम की हुई है जबकि मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 832/26 रकबा 19 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता की नक्शा लट्ठा में मूल खसरा सं0 26 की पूर्वी दिशा में पेंशिली (कच्ची) तरमीम की हुई है। जबकि मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है। चूंकि तहसीलदार, डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 26 ग्राम बिंचावा का अन्तिम खेत है तथा इस खसरा के आगे अन्य गांव की सींव लगती है। अतः ग्राम बिंचावा के खसरा सं0 26 में रास्ते का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद विवेचन दावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद बिंचावा के खेत खसरा सं0 26 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो रास्ते में काटने से नया खसरा नम्बर 832/26 बना है। अतः खसरा सं0 832/26 रकबा 19 बिस्वा भूमि पुनः वादी के खेत खसरा सं0 26 में सम्मिलित की जाती है तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 05.12.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 167/2019 दायर दिनाँक 17.07.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. देवीसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बिंचावा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

दिनाँक 05.12.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बिंचावा के खेत खसरा सं0 26 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा में से 19 बिस्वा भूमि जो रास्ते में काटने से नया खसरा नम्बर 832/26 बना है। अतः खसरा सं0 832/26 रकबा 19 बिस्वा भूमि पुनः वादी के खेत खसरा सं0 26 में सम्मिलित की जाती है तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.........–.......... मुवलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.12.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.25 16:10:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: